

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुझुनू  
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

जीसीएमएस नं. 2023/53  
मुकदमा नम्बर 09/2024

दर्ज दिनांक-23.01.2024

रमेश चन्द्र पुत्र रामकरण सिंह जाति जाट निवासी मोहबतसरी, तहसील नवलगढ़ जिला झुझुनू  
-आवेदक

बनाम  
राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ़  
-अनावेदक

वकील आवेदक :- श्री दीपेन्द्र सिंह  
वकील अनावेदक :- पैरा. राज.

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट


:: आदेश :: निर्णय दिनांक 26.03.2024

प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अध्या 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, ग्राम मोहबतसरी पटवार हल्का घोडीवारां खुर्द में स्थित भूमि खाता सं. नया 17 के अन्तर्गत खसरा नं. 193/4 रकबा 1.0100 है, खसरा नं. 196/11 रकबा 1.7500 है, खसरा नं. 217/13 रकबा 0.0400 है, खसरा नं. 6 रकबा 0.2100 है कुल किता 4 कुल रकबा 3.0100 है के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम महेश कुमार पुत्र रामकरण सिंह कि जगह सही नाम रमेश चन्द्र पुत्र रामकरण सिंह दर्ज किया जावे।

प्रा० पत्र वाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी अनावेदक कि जारी की गई। अनावेदक तहसीलदार नवलगढ़ की ओर से पैरा. राज. उपस्थित हो रिपोर्ट क्रमांक भू.अ. 499 दिनांक 22/02/2024 पेश की जिसके अनुसार प्रार्थी का नाम महेश कुमार पुत्र रामकरण सिंह कि जगह सही नाम रमेश चन्द्र पुत्र रामकरण सिंह दर्ज व शुद्ध किया जाना उचित है।

लिहाजा तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से इतिफाक रखते हुये यह न्यायालय आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र स्वीकार करता है तथा ग्राम मोहबतसरी पटवार हल्का घोडीवारां खुर्द में स्थित भूमि खाता सं. नया 17 के अन्तर्गत खसरा नं. 193/4 रकबा 1.0100 है, खसरा नं. 196/11 रकबा 1.7500 है, खसरा नं. 217/13 रकबा 0.0400 है, खसरा नं. 6 रकबा 0.2100 है कुल किता 4 कुल रकबा 3.0100 है के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम महेश कुमार पुत्र रामकरण सिंह कि जगह सही नाम रमेश चन्द्र पुत्र रामकरण सिंह शुद्ध कर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

मुताबिक आदेश तहसीलदार नवलगढ़ राजस्व रिकार्ड मे दुरुस्ती तथा आवश्यक अमलदरामद करे। पृथक से तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो।  
पत्रावली फंसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा वाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।  
निर्णय/आदेश आज दिनांक 26.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(जय सिंह)RAS

उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़  
जिला-झुझुनू